भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1927

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

अनधिकृत कॉलोनियां

†1927. श्री रमेश राठौड़:
श्री हरीश चौधरी:
श्री रतन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों एवं फार्म-हाउसों में नए गृहों और इमारतों के निर्माण पर रोक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम और पुलिस की मिली भगत से अनधिकृत कालोनियों और फार्म-हाउसों में निर्माण-कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ड.) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति ने दक्षिणी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में ऐसी कालोनियों का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) और (ख) : अनधिकृत कालोनियों में भवन निर्माण गतिविधियों की अनुमति नहीं है। जहां तक फार्म-हाउसों का संबंध है, दिल्ली मास्टर प्लान (एम पी डी), 2021 के अनुसार हरी-पट्टी (ग्रीन बेल्ट) पर इनकी अनुमति है। जिन क्षेत्रों में एमपीडी, 2021 से पूर्व फार्म-हाउसों की अनुमति थी, वहां मौजूदा फार्म-हाउसों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर, 2012 में घोषित नीति के अनुसार नियमित किया जा सकता है।

<u>लो० स० अता० प्र० सं० 1927</u>

(ग) और (घ) : जब कभी अनधिकृत निर्माण-कार्य ध्यान में आता है, तब उसके विरुद्ध संबंधित डीएमसी के भवन निर्माण विभाग द्वारा डीएमसी अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जहां तक अनधिकृत कालोनियों और फार्म-हाउसों के निर्माण के मामलों की संख्या का संबंध है, अलग से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ड.) और (च) : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को रोकने लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं नियुक्त की गई है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में मिश्रित भूमि उपयोग (मिक्स्ड लैण्ड यूज) और अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी नियुक्त की गई है।

*****